37/16 नन्दू देवी V/S रामपाल 2016/00017

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री विजय सिंह रावत अधि० अपी०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में
01418	पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री विजयसिंह रावत उप0 । पत्रावली आज प्रार्थना पत्र वास्ते अपील विड्रो किये जाने पर बहस हेतु नियत है । अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 24.7.2018 को जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया । बहस में कमोबेश प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चौसाला जमाबन्दी संम्वत 2023 – 2026 में दर्ज ख0 नं0 440 रकबा 5–11–10 खातेदार श्री नानू वल्द गोपाल कौम भांबी के नाम दर्ज थी जो कि अपीलार्थीगण के पूर्वज (ससुर / दादा) थे। भू प्रबन्धक विभाग द्वारा तैयार की गई वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में वर्णित आराजी के नवीन खसरा नं0 514 रकबा 5–11–10 को गलत एवं त्रुटि पूर्वक प्रत्यर्थी रामपाल वल्द गिरधानी के नाम दर्ज खातेदारी की अन्य आराजीयात के साथ दर्ज कर लिया गया तथा वर्तमान हुए भू संशोधन के दौरान भी उक्त गलत इन्द्राज को आधार मानकर वर्तमान आधार / रोटेशन जमाबन्दी में अंकन कर दिया है जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था एवं इस बाबत प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम को पोषनीय नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । इसी आदेश के विरूद्व न्यायालय हाजा में वर्तमान अपील विचाराधीन है । उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता की कानूनी सलाह के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है । अतः अपीलान्ट द्वारा नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत किये जाने से न्यायालय हाजा में विचाराधीन अपील स्वतः कानूनन पोषनीय नहीं होने से अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है । अन्त मे उनके यह निवेदन किया गया कि अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील को विड्रो के आधार पर निरस्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जावें जो न्याय संगत एवं विधिसम्मत होगा । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रा0 पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रतियों का अवलोकन तथा बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किये जाने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है । अतः अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 24.7.2018 को जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण की अपील को उनकी प्रार्थना के आधार पर विड्रो किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा अपील अपीलार्थी विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2018.11.28 12:33:37 IST
Reason: SelfAttested